

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-02/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० कुमार नीतीश, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर के द्वारा प्रथम संतान हेतु उपभोगित अवधि दिनांक-08.10.2024 से 22.10.2024 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिन को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-02/2025- 13.55 (7) पटना, दिनांक 1 / 8 / 2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, आरा भोजपुर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर /कोषागार पदाधिकारी. आरा, भोजपुर/डा० कुमार नीतीश, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, आरा, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।